

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 180/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2025/219

प्रार्थी

हिन्दुजा हाऊसिंग फाईनेंस लिमिटेड, बनाम
पंजीकृत कार्यालय 27 ए, डवलपड
इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गुईन्डी, चेन्नई
600032, एवं शाखा कार्यालय - द्वितीय
तल, 212, 213, 214 एवरसाइन टॉवर
एफ-1, आम्रपाली सर्किल वैशाली नगर
जयपुर राजस्थान 302021 जरिये
प्राधिकृत अधिकारी चित्रांश राजोरिया

अप्रार्थीगण

1. अलीजा पुत्र श्री हाऊखां पता - हाउस नम्बर
946, भार्गव बस्ती वार्ड नम्बर 11, हरिजनों का
बास, ग्राम डेह, तहसील जायल, जिला नागौर,
पुलिस चौकी के पास, राजस्थान 341001
अन्य पता- पट्टा नम्बर 54, मेघवालों का बास,
डेह पुलिस चौकी के पास, नागौर, राजस्थान
341001
2. चुका पत्नी श्री अलीजा पता - हाउस नम्बर
946, भार्गव बस्ती वार्ड नम्बर 11, हरिजनों का
बास, ग्राम डेह, तहसील जायल, जिला नागौर,
पुलिस चौकी के पास, राजस्थान 341001

आदेश

दिनांक: 08-12-2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रूपये 8,70,000/- (अक्षरे आठ लाख सत्तर हजार रूपये मात्र) दिनांक 29.11.2023 का ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति- अलीजा पुत्र श्री हाऊखां की अचल सम्पत्ति अन्य पता- पट्टा नम्बर 54, मेघवालों का बास, डेह पुलिस चौकी के पास, नागौर, राजस्थान 341001 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 899.25 वर्गफिट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी चतुर्सीमायें निम्न प्रकार हैं- पूर्व में सतार तेली का आवास है, पश्चिम में अली तेली का आवास है, उत्तर में रणवीर सिंह की बाड़ी है, दक्षिण में आम रास्ता और निकास है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 03.05.2025 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ ऋणी के ऋण खाते में रूपये 8,61,488/- (अक्षरे आठ लाख इकसठ हजार चार सौ अठासी रूपये मात्र) दिनांक 01.11.2024 तक शेष देय है व दिनांक 02.11.2024 से आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/ अप्रार्थी को दिनांक 21.05.2025 को



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

रजिस्टर्ड दिये गये एवं उक्त नोटिसों का अखबार में प्रकाशन भी करवाया गया, परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 8,61,488/- (अक्षरे आठ लाख इकसठ हजार चार सौ अठासी रुपये मात्र) दिनांक 01.11.2024 तक शेष देय है व दिनांक 02.11.2024 से आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण - सम्पत्ति- अलीजा पुत्र श्री हाऊखां की अचल सम्पत्ति अन्य पता- पट्टा नम्बर 54, मेघवालों का बास, डेह पुलिस चौकी के पास, नागौर, राजस्थान 341001 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 899.25 वर्गफिट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमायें निम्न प्रकार है- पूर्व में सतार तेली का आवास है, पश्चिम में अली तेली का आवास है, उत्तर में रणवीर सिंह की बाड़ी है, दक्षिण में आम रास्ता और निकास है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रुपये 8,70,000/- (अक्षरे आठ लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) दिनांक 29.11.2023 प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या एसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।



2
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति— अलीजा पुत्र श्री हाऊखां की अचल सम्पत्ति अन्य पता— पट्टा नम्बर 54, मेघवालों का बास, डेह पुलिस चौकी के पास, नागौर, राजस्थान 341001 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 899.25 वर्गफिट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी चतुर्सीमायें निम्न प्रकार हैं— पूर्व में सतार तेली का आवास है, पश्चिम में अली तेली का आवास है, उत्तर में रणवीर सिंह की बाड़ी है, दक्षिण में आम रास्ता और निकास है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकटेड है, जो प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे विलेख संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।
आदेश सुनाया गया।



(अरुण कुमार पुरोहित)
जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
नागौर